मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 17 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 26, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.40 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से प्रथम प्रश्न पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

2. अध्यक्षीय व्यवस्था

कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव विषयक

डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य द्वारा अध्यक्षीय दीर्घा के गेट पर खड़े होकर जोर से यह बोला गया कि क्या बिना अध्यक्ष के विधानसभा चलेगी। श्री अनूप मिश्रा, सदस्य द्वारा सभापति महोदय के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया गया कि कांग्रेस पक्ष के सदस्यगण द्वारा अध्यक्ष महोदय को सदन में आने से बाधित किया जा रहा है। अत: सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने के कारण कांग्रेस पक्ष के सदस्यों के विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव पारित किया जाए। इसी सम्बन्ध में निम्नलिखित सदस्यगण द्वारा भी निन्दा प्रस्ताव के समर्थन में विचार व्यक्त किए गए :-

(2) श्री गोपाल भार्गव, सामाजिक न्याय मंत्री
(3) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास
(4) राव देशराज सिंह यादव, सदस्य
(5) श्री गौरीशंकर बिसेन, सहकारिता मंत्री
(6) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री
(7) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री
(8) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य
(9) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य
(10) श्री विश्वास सारंग, सदस्य
(11) श्री राजेन्द्र फूलचंद वर्मा, सदस्य

सभापति महोदय द्वारा माननीय सदस्यों की भावनाएं सुनकर बाद मं अपनी व्यवस्था देने सम्बन्धी घोषणा की गई, तथा वर्तमान में प्रश्नकाल चलने देने हेतु अनुरोध किया गया।

3. प्रश्नोत्तर (क्रमश:)

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से कुल 11 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 67 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 80 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -
(1) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में तम्बाकू गुटका बंद न होने,
(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ने,
(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले में जिला बाल विकास योजना में धांधली होने,
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले में कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वाणिज्यक विषय न होने,
(5) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया, सदस्य की मंदसौर जिले के हायर सेकेण्ड्री स्कूल की जर्जर हालत होने,
(6) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की धार जिले के सरदारपुर में सोयाबीन एवं खाद-बीज की व्यवस्था न होने,
(7) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले के लहार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अव्यवस्था होने,
(8) श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्य की रायसेन जिले के बरेली पंचायत में अग्निशमन यंत्र खराब होने,
(9) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की मण्डला जिले के ग्राम पंचायत किसली में पेयजल संकट होने तथा
(10) श्री अजय सिंह, सदस्य (नेता प्रतिपक्ष) की हरदा जिले में सोयाबीन फसल नष्ट होने के बाद कृषकों को राहत न दी जाने सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं।

5. अध्यक्षीय व्यवस्था

सभापति तालिका की घोषणा विषयक

चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि आज की कार्यसूची तथा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 (1) के अनुसार सदन में नई सभापति तालिका की घोषणा होने के पूर्व सभापति महोदय से सदन की कार्यवाही का संचालन करना नियमानुसार नहीं है।

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री तथा श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री मंत्री तथा अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री द्वारा आसंदी के माध्यम से नियमावली नियम 9 (2) तथा संसदीय पद्धति और प्रक्रिया (कौल एवं शकधर) के पृष्ठ 397 को उद्धरित किया गया। जिसके अनुसार नामनिर्देशित सभापति तालिका के सदस्य नई सभापति तालिका के नामनिर्देशित किये जाने तक पद धारण करते हैं।

सभापति महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि विधान सभा नियमावली के नियम 9 (2) के अनुसार "सभापति तालिका के सदस्य नामनिर्दिष्ट किए जाने तक पद धारण करते हैं" अत: यह व्यवस्था का प्रश्न अमान्य किया जाता है।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय विश्नोई, पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा 2006-07 पटल पर रखा।

(2) कुंवर विजय शाह, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का सप्तम् प्रतिवेदन वर्ष 2003-04, अष्टम् प्रतिवेदन वर्ष 2004-05, नवम् प्रतिवेदन वर्ष 2005-06 एवं दशम् प्रतिवेदन वर्ष 2006-07 में की गई अनुशंसाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखे।

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त, 2011 पटल पर रखी।

7. ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले में छात्रों को गणवेश हेतु दिये गये चेकों का भुगतान न होने तथा

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के खाचरौद नगर में सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने सम्बन्धी ध्यान आकर्षण की सूचनाएं सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सदस्यगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई।

(चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के अनेक सदस्यगण गर्भगृह में होतु हुए, आसंदी को घेरकर खड़े हो गए तथा नारेबाजी की गई जिससे अव्यवस्था एवं धक्कामुक्की की। तत्पश्चात् सत्ता पक्ष के कुछ सदस्य भी गर्भगृह से होकर आसंदी के नजदीक आकर अपनी बात कहने लगे।)

सदन में अत्यधिक व्यवधान होने के कारण सभापति महोदय द्वारा पूर्वाह्न 11.40 बजे कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाकर पुन: 11.48 बजे समवेत् की गई।

8. वर्ष 2012-13 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार, वर्ष 2012-13 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।
सभापति महोदय द्वारा इस पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 18 जुलाई, 2012 को 2 घन्टे का समय नियत किया गया।

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

सभापति महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गई :-

(1) श्री अलकेश आर्य (जिला-बैतूल)
(2) श्री राधेलाल बघेल (जिला-दतिया)
(3) श्री रमेश प्रसाद खटीक (जिला-शिवपुरी)
(4) श्रीमती नीता पटेरिया (जिला-सिवनी)

10. निन्दा प्रस्ताव

श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री द्वारा सदन में आज कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा किए गए कृत्य की घोर निंदा करते हुए सदन के समक्ष उनके विरूद्ध निन्दा प्रस्ताव रखा गया।

निन्दा प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ।

अपराह्न 11.50 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 18 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 27, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 17 जुलाई, 2012